न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 61/2018 अपील

1. श्री घनश्याम लाल पिता रामनिवास गहलोत निवासी गंगापुर तहसील सहाडा	बनाम	1. श्रीमती कुशलदेवी पत्नी रामकिशन महाजन निवासी वार्ड सं. 10 गंगापुर तहसील सहाडा 2. महेशचन्द्र पुत्र रामकिशन महाजन निवासी वार्ड सं. 10 गंगापुर तहसील सहाडा 3. प्रकाश चन्द्र पुत्र रामकिशन महाजन निवासी वार्ड सं. 10 गंगापुर तहसील सहाडा 4. श्रीमती प्रेमलता पुत्री रामकिशन महाजन निवासी गंगापुर तहसील सहाडा 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर 6. नगर पालिका गंगापुर जरिये प्रशासक नगर पालिका गंगापुर जिला भीलवाडा
–अपीलार्थी		– विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण सं. 201 दिनांक 01.06.1993 तहसीलदार सहाडा

उपस्थित –

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश शिशोदिया अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 से लगायत 04 की ओर से

निर्णय

दिनांक 29.08.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर में स्थित साबिक कृषि भूमि आराजी नम्बर 1374/2, 1374/3 किता 02 रकबा 1.17 बीघा भूमि ग्वालियर स्टेट की भूमि थी जिसे जागीरदार द्वारा सार्वजनिक उपयोग उपभोग हेतु पंचान बहादरगंज व मुकनगंज बहरोतयाम मुखिया मोहनलाल, रामकुंवार पुत्र बलदेव, भवानीराम पुत्र रामरतन महाजन को दी गयी, जो कि जागीरदारी उन्मूलन के पश्चात् भी राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक उपयोग में ही उक्त भूमि आ रही थी जिससे संवत् 2011 से 2013 व संवत् 2026 से 2029 की जमाबन्दी में भी पंचान बहादरगंज व मुकनगंज बहरोतयाम के नाम पर चली आ रही थी, जो समाज के मुखिया थे उनका नाम साथ में अंकित था, चूंकि उक्त भूमि पर निजी तौर पर मालिकाना हक किसी को प्राप्त नहीं था। इसलिए उक्त भूमि की देख रेख करने वाले मुखिया का नाम साथ अंकित होता चला आ रहा था, जिसमें मोहनलाल पुत्र बलदेव की मृत्यु होने पर उक्त मुखिया की जगह से राजस्व रिकार्ड में नाम विलोप्त हो गया व भवानीराम पुत्र रामरतन की भी मृत्यु होने से उनका नाम भी राजस्व रिकार्ड से नामान्तरकरण सं. 439 दिनांक 27.09.1971 को खारिज की मंजूरी होने से विलोपित कर दिया, शेष मुखिया का नाम बदस्तूर यथावत रखा, तत्पश्चात्

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

सेटलमेण्ट होने से उक्त भूमि के साबिक आराजी नम्बर 1374/2 रकबा 1.15 के नये नम्बर 1904 रकबा 0.30 हैक्ट. व 1374/3 रकबा 0.02 बिस्वा के नये नम्बर 1899 रकबा 0.09 हैक्ट. कुल किता 2 रकबा 0.39 हैक्ट. कायम हुये जो संवत् 2046 की जमाबन्दी में भी उक्त भूमि पंचान बहादरगंज एवं मुकनगंज बएहतमाम मुखिया रामकुंवार पुत्र बलदेवराम महाजन के नाम दर्ज होकर चली आ रही थी। रामकुंवार की मृत्यु होने से उक्त भूमि से रामकुंवार का नाम भी खारिज किया जाकर विलोप्त किया जाकर सार्वजनिक रूप से बिलानाम सरकार अंकित किया जाकर सार्वजनिक रूप से बिलानाम सरकार अंकित किया की जानी चाहिये थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ग्राम विकास शिविर के तहत तहसीलदार सहाडा के समक्ष पटवारी हल्का गंगापुर ने रामकुंवार पुत्र बलदेवराज ग्राम गंगापुर में स्थित अन्य भूमि का जो विरासत का नामान्तरकरण सं. 201 भरा जाकर खोला गया। उसके साथ ही इस सार्वजनिक स्थल की भूमि को भी शामिल करते हुए नामान्तरकरण सं. 201 दिनांक 01.06.1993 को स्वीकृत कर दिया। जिससे उक्त भूमि की विरासत के जरिये रामकिशन पुत्र रामकुंवार के नाम पर अंकित कर दी। रामकिशन पुत्र रामकुंवार की मृत्यु होने पर वारिसान जो कि प्रत्यर्थीगण हैं, उक्त भूमि को अपने नाम पर विरासत के जरिए अंकित करवा उक्त भूमि को 90 (बी) के तहत नगरपालिका से आबादी दर्ज करवाकर भूखण्ड काटकर विक्रय करने की प्रक्रिया अपना रहे है, जिसकी जानकारी हाल ही में पटवारी हल्का से होने पर वर्तमान जमाबन्दी व पुराना राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया व तथाकथित विवादित नामान्तरकरण सं. 201 निर्णय दिनांक 01.06.1993 की प्रमाणित प्रतिलिपि पटवारी हल्का गंगापुर से दिनांक 07.05.2018 को प्राप्त करने पर हुयी। ग्राम विकास शिविर कैम्प गंगापुर द्वारा तथाकथित विवादित नामान्तरकरण सं. 201 निर्णय दिनांक 01.06.1993 को पारित किया हैं जो विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है। उक्त नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से भरा गया जिसकी भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा कोई जांच व तहकीकात नही कर केवल पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अंकन दुरूस्त की रिपोर्ट कर दी व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी का मिलान किये बिना ही तथाकथित नामान्तरकरण सं. 201 को दिनांक 01.06.1993 को स्वीकृत किया है जो त्रुटिपूर्ण होकर अवैध हैं जो निरस्त होने योग्य हैं। उक्त विवादित भूमि के बाबत् पूर्व मुखिया भवानीराम पुत्र रामरतन की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण सं. 439 भरा गया जिस पर भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की जाकर यह स्पष्ट रूप से रिपोर्ट की गयी कि यह जमीन सार्वजनिक है, जिससे यह जमीन बिलानाम दर्ज होना चाहिये थी। उक्त नामान्तरकरण को तहसीलदार सहाडा के समक्ष वास्ते निर्णित हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें तहसीलदार सहाडा द्वारा दिनांक 29.08.1971 को निर्णय प्रदान किया कि यह भूमि पंच महाजनान की होकर सार्वजनिक हैं, जिससे विरासत का कानून लागु नही होता हैं। इसलिए भवानीराम का नाम खारिज किया जाने का निर्णय हुआ व रामकुंवार का नाम बदस्तूर रहा। इस नामान्तरकरण के निर्णय से स्पष्ट हैं कि उक्त भूमि सार्वजनिक है जिसमें विरासत कानून लागू नही होता हैं। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाडा द्वारा नामान्तरकरण सं. 201 स्वीकार कर निर्णित करने में भूल की हैं जो खारिज होने योग्य हैं। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाडा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण सं. 201 दिनांक 01.06.1993 को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकार्ड में अंकित करायी जाने का आदेश किया जावे।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.05.2018 को पंजीकृत करते हुये विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाडा से रिकार्ड तलब किया गया। विपक्षी सं. 01 से लगायत 04 की ओर से जवाब पेश किया गया।

प्रस्तुत अपील में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर में स्थित साबिक कृषि भूमि आराजी नम्बर 1374/2, 1374/3 किता 02 रकबा 1.17 बीघा भूमि ग्वालियर स्टेट की भूमि थी जिसे जागीरदार द्वारा सार्वजनिक उपयोग उपभोग हेतु पंचान बहादरगंज व मुकनगंज बहरोतयाम मुखिया मोहनलाल, रामकुंवार पुत्र बलदेव, भवानीराम पुत्र रामरतन महाजन को दी गयी, जो कि जागीरदारी उन्मूलन के पश्चात् भी राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक उपयोग में ही उक्त भूमि आ रही थी जिससे संवत् 2011 से 2013 व संवत् 2026 से 2029 की जमाबन्दी में भी पंचान बहादरगंज व मुकनगंज बहरोतयाम के नाम पर चली आ रही थी, जो समाज के मुखिया थे उनका नाम साथ में अंकित था, चूंकि उक्त भूमि पर निजी तौर पर मालिकाना हक किसी को प्राप्त नहीं था। इसलिए उक्त भूमि की देख रेख करने वाले मुखिया का नाम साथ अंकित होता चला आ रहा था, जिसमें मोहनलाल पुत्र बलदेव की मृत्यु होने पर उक्त मुखिया की जगह से राजस्व रिकार्ड में नाम विलोप्त हो गया व भवानीराम पुत्र रामरतन की भी मृत्यु होने से उनका नाम भी राजस्व रिकार्ड से नामान्तरकरण सं. 439 दिनांक 27.09.1971 को खारिज की मंजूरी होने से विलोपित कर दिया, शेष मुखिया का नाम बदस्तूर यथावत रखा, तत्पश्चात् सेटलमेण्ट होने से उक्त भूमि के साबिक आराजी नम्बर 1374/2 रकबा 1.15 के नये नम्बर 1904 रकबा 0.30 हैक्ट. व 1374/3 रकबा 0.02 बिस्वा के नये नम्बर 1899 रकबा 0.09 हैक्ट. कुल किता 2 रकबा 0.39 हैक्ट. कायम हुये जो संवत् 2046 की जमाबन्दी में भी उक्त भूमि पंचान बहादरगंज एवं मुकनगंज बएहतमाम मुखिया रामकुंवार पुत्र बलदेवराम महाजन के नाम दर्ज होकर चली आ रही थी। रामकुंवार की मृत्यु होने से उक्त भूमि से रामकुंवार का नाम भी खारिज किया जाकर विलोप्त किया जाकर सार्वजनिक रूप से बिलानाम सरकार अंकित किया जाकर सार्वजनिक रूप से बिलानाम सरकार अंकित किया की जानी चाहिये थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ग्राम विकास शिविर के तहत तहसीलदार सहाडा के समक्ष पटवारी हल्का गंगापुर ने रामकुंवार पुत्र बलदेवराज ग्राम गंगापुर में स्थित अन्य भूमि का जो विरासत का नामान्तरकरण सं. 201 भरा जाकर खोला गया। उसके साथ ही इस सार्वजनिक स्थल की भूमि को भी शामिल करते हुए नामान्तरकरण सं. 201 दिनांक 01.06.1993 को स्वीकृत कर दिया। जिससे उक्त भूमि की विरासत के जरिये रामकिशन पुत्र रामकुंवार के नाम पर अंकित कर दी। रामकिशन पुत्र रामकुंवार की मृत्यु होने पर वारिसान जो कि प्रत्यर्थीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

हैं, उक्त भूमि को अपने नाम पर विरासत के जरिए अंकित करवा उक्त भूमि को 90 (बी) के तहत नगरपालिका से आबादी दर्ज करवाकर भूखण्ड काटकर विक्रय करने की प्रक्रिया अपना रहे है, जिसकी जानकारी हाल ही में पटवारी हल्का से होने पर वर्तमान जमाबन्दी व पुराना राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया व तथाकथित विवादित नामान्तरकरण सं. 201 निर्णय दिनांक 01.06.1993 की प्रमाणित प्रतिलिपि पटवारी हल्का गंगापुर से दिनांक 07.05.2018 को प्राप्त करने पर हुयी। ग्राम विकास शिविर कैम्प गंगापुर द्वारा तथाकथित विवादित नामान्तरकरण सं. 201 निर्णय दिनांक 01.06.1993 को पारित किया हैं जो विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है। उक्त नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से भरा गया जिसकी भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा कोई जांच व तहकीकात नही कर केवल पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अंकन दुरूस्त की रिपोर्ट कर दी व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी का मिलान किये बिना ही तथाकथित नामान्तरकरण सं. 201 को दिनांक 01.06.1993 को स्वीकृत किया है जो त्रुटिपूर्ण होकर अवैध हैं जो निरस्त होने योग्य हैं। उक्त विवादित भूमि के बाबत् पूर्व मुखिया भवानीराम पुत्र रामरतन की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण सं. 439 भरा गया जिस पर भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की जाकर यह स्पष्ट रूप से रिपोर्ट की गयी कि यह जमीन सार्वजनिक है, जिससे यह जमीन बिलानाम दर्ज होना चाहिये थी। उक्त नामान्तरकरण को तहसीलदार सहाडा के समक्ष वास्ते निर्णित हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें तहसीलदार सहाडा द्वारा दिनांक 29.08.1971 को निर्णय प्रदान किया कि यह भूमि पंच महाजनान की होकर सार्वजनिक हैं, जिससे विरासत का कानून लागु नही होता हैं। इसलिए भवानीराम का नाम खारिज किया जाने का निर्णय हुआ व रामकुंवार का नाम बदस्तूर रहा। इस नामान्तरकरण के निर्णय से स्पष्ट हैं कि उक्त भूमि सार्वजनिक है जिसमें विरासत कानून लागू नही होता हैं। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाडा द्वारा नामान्तरकरण सं. 201 स्वीकार कर निर्णित करने में भूल की हैं जो खारिज होने योग्य हैं। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाडा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण सं. 201 दिनांक 01.06.1993 को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकार्ड में अंकित करायी जाने का आदेश किया जावे।

विपक्षी सं. 01 से लगायत 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाण्ट किसी प्रकार से नामान्तरकरण सं. 201 पर पारित आदेश से व्यथित पक्षकार नहीं हैं। न ही विवादित आराजियात सार्वजनिक उपयोग उपभोग की आराजियात हैं एवं न कभी रही। अपीलाण्ट को यह अपील प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टैण्डाई नही रहती हैं। अपीलाण्ट को नामान्तरकरण सं. 201 पर पारित आदेश दिनांक 01.06.1993 की जानकारी पारित आदेश दिनांक से ही रही हैं। कस्बा गंगापुर में नगर परिषद कार्यशील न होकर स्थानीय निकाय के रूप में नगर पालिका कार्यशील हैं तो फिर नगर परिषद से रूपान्तरण कराने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। उक्त आराजियात में कपास की फैक्ट्री का संचालन किया जाता रहा है तो फिर उसका पुनः रूपान्तरण कराये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अपीलार्थी लगभग 25 वर्षों तक के लम्बे समय को कण्डोन कराने का अधिकारी नही हैं एवं न ही किसी प्रकार का सद्भाविक युक्ति युक्त कारण अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्शाया है। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील बैरून मियाद होने के साथ साथ अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टैण्डाई न

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

होने से प्रथम दृष्टया ही कानूनन पोषणीय न होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि ग्राम गंगापुर के नामान्तरकरण सं. 201 में खाता सं. 373 व 374 में रामकुंवार पिता बलदेव महाजन सा. देह खातेदार से विरासत से रामकुंवार के बजाय रामकिशन पिता रामकुंवार महाजन के नाम ग्राम विकास शिविर कैम्प गंगापुर में दिनांक 01.06.1993 को तहसीलदार सहाडा ने स्वीकृत किया जबकि उक्त भूमि पंचान बहादरगंज एवं मुकनगंज बहरोतयाम मुखिया मोहनलाल, रामकुंवार पुत्र बलदेव, भवानीराम पुत्र रामरतन महाजन सा.देह के नाम दर्ज थी। मोहनलाल पुत्र बलदेव की मृत्यु होने पर उक्त मुखिया की जगह से राजस्व रिकार्ड में नाम विलोपित हो गया एवं भवानीराम के फौत होने पर नामान्तरकरण सं. 439 से दिनांक 24.08.1971 से भवानीराम का नाम खारिज किया गया है। नामान्तरकरण सं. 201 में रामकुंवार पिता बलदेव महाजन सा.देह खातेदार की विरासत में रामकुंवार का नाम खारिज नही करके विरासत में रामकिशन पिता रामकुंवार दर्ज करने के आदेश दिये, जबकि नामान्तरकरण सं. 439 निर्णय दिनांक 24.08.1971 अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये। इस प्रकार नामान्तरकरण सं. 201 से संबंधित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की प्रतीत होने से नामान्तरकरण सं. 201 निर्णय दिनांक 01.06.1993 अपास्त योग्य ठहरता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिय 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार सहाडा स्वीकार की जाती है। अधीनस न्यायालय तहसीलदार सहाडा के नामान्तरकरण सं. 201 दिनांक 01.06.1993 को अपास्त कि जाता है एवं तहसीलदार सहाडा को रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते हैं कि भूमि बिलान सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज कर, भूमि कब्जे सरकार लेवें। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिक तहसीलदार सहाडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा